कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हापुड़।

पत्रांकः— 49 /एस0टी0—ए0डी0एम0—हापुड़/2020 दिनांक 05 जून, 2020

आदेश

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह गोपन अनुभाग—3, लखनऊ द्वारा जारी पत्रांक 1382/2020/सीएक्स—3 दिनांक 31 मई, 2020 तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.6.2020 एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रपत्र में कोविड—19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में दिनांक 01.6.2020 से दिनांक 30.6.2020 तक प्रभावी रहने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 18089/जे0ए0—डी0एम0—हापुड़ दिनांक 31 मई, 2020 के द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा—144 सी0आर0पी0सी0 जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 08.6.2020 से धर्म स्थल/पूजा स्थल जनसामान्य हेतु, होटल, रेस्टोरेन्ट एवं अन्य अतिथि सत्कार सेवायें तथा शॉपिंग मॉल्स को छूट प्रदान कर इन प्रतिष्ठानों को खोले जाने का प्रावधान है। **हॉट स्पॉट/कन्टेनमेन्ट/बफर जोन में समस्त गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेंगी।** उपरोक्त आदेश के कम में तथा निर्गत दिशा निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन किये जाने हेतु पुनः निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जो समस्त सम्बन्धितों पर बाध्यकारी होंगे।

1:— बगैर मास्क पहने किसी व्यक्ति को दुकान में न तो प्रवेश दिया जायेगा और न ही बिकी की जायेगी।

2:— दुकानदार स्वयं सैनेटाईजर उपलब्ध कराकर ग्राहक को सैनेटाईज करायेंगे।

3:— रसोई एवं डायनिंग एरिया में 01 माह बैक—अप की सुविधा सहित अनिवार्य रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाया जायेगा।

4:— समस्त कर्मी फेस मास्क, हैड कवर, शू—कवर तथा दस्ताने पहनेंगे।

5:— किसी भी प्रकार की डायनिंग एरिया में बैठाकर खिलाने की व्यवस्था नहीं दी जायेगी।

6:— पुराना बचा हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ अथवा रॉ मैटिरियल प्रयोग में नहीं लायेंगे।

7:— कूड़ा निस्तारण प्रकिया का शत—प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।

8:— सभी कर्मचारियों का नियमित रूप से थर्मल स्कैनिंग करायेंगे तथा कोविड का कोई भी लक्षण पाये जाने पर तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ को सूचित करायेंगे।

9:— प्रतिष्ठान को नियमित रूप से ब्लिचिंग पाऊडर/सोडियम हाईपोक्लोराईड से सैनेटाईजेशन कराना अनिवार्य होगा।

10:— ग्राहकों का बैठना निषेध होगा और परिसर के सामने पटरी पर कोई सामान नहीं बेचा जायेगा।

11:— साप्ताहिक बन्दी के दिन कारोबार बन्द रहेगा, शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

12:— रेस्टोरेन्ट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। ग्राहकों को बैठाकर खिलाना निषेध होगा।

13:— किसी भी धार्मिक स्थल मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, मठ एंव ऐसे स्थल जहॉ जनसामान्य एकत्रित होता है, वहां पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

14:— कोविड—19 के संकमण को रोकने हेतु सभी माल/रेस्टोरेन्ट/होटल/सैलून/ब्यूटी पार्लर में इन्फारेड थर्मामीटर एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

कोविड—19 कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिये निम्नलिखित उपायों को भी अपनाया जाये।

1:— जहां तक सम्भव हो, कम से कम 06 फीट शारीरिक दूरी का पालन किया जाये। इस हेतु होटल/रेस्टोरेन्ट प्रबन्धकों द्वारा पर्याप्त मानव शक्ति नियुक्त की जाये।

2:— मास्क/फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। होटल/रेस्टोरेन्ट के अन्दर अनिवार्य रूप से फेस मास्क का प्रयोग किया जाये।

3:— बार—बार साबुन से हाथ धोने का अभ्यास किया जाये, जहां तक सम्भव हो एल्कोहल हेण्ड सैनेटाईजर का प्रयोग करें।

4:— सार्वजनिक स्थान पर न थूका जाये।

5:— होटल/रेस्टोरेन्ट अपने प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कीनिंग का प्रावधान करें।

6:— वाहनों के संचालन, दरवाजों के हैण्डिलों, चाबियों आदि पर कीटाणु शोधन कार्यवाही की जाये।

7:— मेहमानों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति के लिये अधिमानतः अलग—अलग प्रवेश/निकास द्वार का आयोजन किया जाये।

8:— अतिथि का विवरण यथा यात्रा का इतिहास, चिकित्सा की स्थिति आदि अतिथि से स्वयं एक घोषणा पत्र के साथ प्राप्त किया जाये।

9:— कोविड मेहमानों के उपयोग हेतु स्वागत कक्ष में हैण्ड सैनेटाईजर रखा जाये।

10:— उच्च जोखिम वाले अतिथि अर्थात् वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती अथवा चिकित्सा शर्तों वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 65 वर्ष की उम्र एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यथासम्भव घर पर रहने की सलाह दी जाये।

11:— रेस्टोरेन्ट में बैठने की व्यवस्था पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाये रखते हुये की जाये।

12:— डिस्पोजेबल मेन्यू/नैपकिन का प्रयोग किया जाये।

13:— रूम सर्विस को प्राथमिकता दी जाये।

14:— एयर कन्डीशन उपकरणों की तापमान सेटिंग 24—30 डिग्री सेल्सियस रखी जाये, जहां तक सम्भव हो सके, ताजा हवा का सेवन पर्याप्त हो।

15:— परिसर के भीतर प्रभावी एवं सतत् स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाये।

16:— आरोग्य सेतु एप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड किया जाये तथा होटल/मॉल/रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगन्तुकों से भी अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाये।

17:— होटल/मॉल/रेस्टोरेन्ट में कोरोना रहित स्टाफ तथा अतिथियों को ही अनुमति दी जाये।

18:— होटल/मॉल/रेस्टोरेन्ट में यथासम्भव डिजीटल भुगतान ई—वॉलेट/पे—टीएम/गूगल—पे आदि का प्रयोग करेंगे।

19:— होटल में कमरों के अन्दर आगन्तुकों का सामान भेजने से पहले कमरों को विसंक्रमित किया जाये।

20:— होटल/मॉल/रेस्टोरेन्ट में आने वाले अतिथियों को निर्देशित कर दिया जाये कि वे केन्टोन्मेन्ट क्षेत्र में कदापि भ्रमण न करें।

21:— होटल/मॉल/रेस्टोरेन्ट के अन्दर गेमिंग आर्केड्स/बच्चों के प्ले—एरिया (जहां भी लागू हो) खेल स्थल को बन्द रखा जाये।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम—2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट—1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड—19) विनियमावली—2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा—188 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.6.2020

(अदिति सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:— पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
2:— मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
3:— मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़।
4:— उपजिलाधिकारी, हापुड़/गढ़मुक्तेश्वर/धौलाना।
5:— तहसीलदार, हापुड़/गढ़मुक्तेश्वर/धौलाना।
6:— जिला पूर्ति अधिकारी, हापुड़।
7:— जिला खाद्य विपणन अधिकारी, हापुड़।
8:— अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, हापुड़।
9:— समस्त सम्बन्धित।
10:— सहायक निदेशक सूचना को जनहित में निशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु।

5.6.2020

जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़।